

माननीय
जन सूचना लोक प्राधिकारी जी
केन्द्रीय सड़कमार्ग मन्त्रालय
भारत सरकार नई दिल्ली

विषय- जन सू० अ० अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन -
बाहे शुल्क 10 करो० पो०ओ० द्वारा अदा किया जाता है
पो०ओ० न०-36 F 6889 90 (एचएलके) / पो०ओ०
के 2 कालम स्वयंभर लिया जावे।

मान्यवर

- ① निवेदन यह है कि एन एच-93 कोर लाइन है या 2 लाइन है सू० दी जावे।
- ② निवेदन यह है कि 2 लाइन से टोल टैक्स बसला जा सकता है ही/नही में सू० दी जावे।
- ③ यह है कि 30 प्र० के सभी मार्ग ऐसे किने है जो 2 लाइन के है उनसे टोल बसला जाता है उनके एन एच न० मार्ग का न० सहित सू० दी जावे।


RTI

488

Sum/and k
1. Sec 2) & 3) Pr. 1
2. AEE (RTH)
S. P. Deshpande

दिनांक
8/RTI

④ यह है कि दो लाइन के रोड से टोल से बसला जा रहा टोल टैक्स प्राइवेट कर्परायी संस्था के एजीमेन्ट से है कि नही ही/नही में सू० दी जावे।
यह है कि सू० का कोई खण्ड/भाग किसी अन्य लोक प्राधिकारी से है व धारा 6(3) अन्तर्गत अपाणीके 5 दिवस में सूचित करने की इजाजत है।



आवेदक प्रार्थी
मासूम नकवी
म्यूंगवी गरी मधुपुराड
पडाल पम्पके पास वधास
1080011-Nevvi

आप०-8755461987

7


महाराष्ट्र राज्य डाक विभाग डाक विभाग डाक विभाग डाक विभाग डाक विभाग डाक विभाग डाक विभाग डाक विभाग डाक विभाग डाक विभाग



भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO _____



दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

₹ 10

कमीशन COMMISSION रुपए 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता लिखें।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HEREIN

AT THE POST OFFICE AT

हजूरपुरा 303/111

के डाकघर में भेजा है।

माधुसूदन शर्मा
महाराष्ट्र सरकार
पुणे

इस स्थान के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

36F 688990

पुस्तक कार्यालय डाक विभाग

पूरी रकम बमूल पायी
RECEIVED the full amount

पानेवाले के हस्ताक्षर PAYEE'S SIGNATURE

भारतीय डाकघर नियमावली के नियमों एवं शर्तों के अनुसार जारी
ISSUED SUBJECT TO THE RULES AND CONDITIONS IN THE IPO RULES.

वैधता:- जारी करने के महीने के अंतिम दिन से 24 महीने और खतिय कमिशन के भुगतान जारी करने के महीने की अंतिम दिन से 36 महीने।
Validity:- 24 months from the last day of the month of issue and 36 months from the last date of the month of issue on payment of second commission.

प्र.मु.ह./S.P.P.HYD